"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 326] रायपुर, शनिवार, दिनांक 31 अक्टूबर 2009—कार्तिक 9, शक 1931

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
इन्द्रावती खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 अक्टूबर 2009

क्रमांक 24/चार/वि.स.उप-चु./2009/3716.—भारत निर्वाचन आयोग, नई-दिल्ली के निदेश संख्या 576/3/ई.व्ही.एम./2009/एस.डी.आर.(वि.स.), दिनांक 23 अक्टूबर, 2009 विधान सभा उप चुनाव-2009 इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों के प्रयोग संबंधी निदेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

सुनील कुजूर,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, तारीख 23 अक्टूबर 2009

निदेश

संख्या 576/3/ई.वी.एम./2009/एस.डी.आर. (वि.स.).—यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61क में यह उपबंधित है कि मतदान मशीनों द्वारा मत ऐसी रीति से दिए और रिकार्ड किए जाएंगे जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट करें; तथा

2. यत: आयोग ने असम में 22-साल्मारा दक्षिण और 71-धेकियाजुली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश में 3-रोहडू और 36-ज्वाली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, केरल में 10-कन्नुर, 100-अल्लेप्पी और 72-एरनाकुलम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, राजस्थान में 156-सलूम्बर (अ.ज.जा.) और 81-टोडाभीम (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश में 45-पुवायॉं (अ. जा.), 86-लखनऊ पश्चिम, 181-पडरौना, 239-रारी, 108-इसौली, 312-झांसी, 229-कोलअसला, 162-हैंसर बाजार, 311-ललितपुर, 288-इटावा और 290-भरथना विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, छत्तीसगढ़ में 66-वैशाली नगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और पश्चिम बंगाल में 11-कालचीनी (अ.ज.जा.), 21-राजगंज (अ.जा.), 48-सुजापुर, 29-गोलपोखर, 85-बोंगॉंव, 211-कोन्टाई दक्षिण, 213-इगरा, 180-सेरामपोर, 148-अलीपोर और 139-बेलगाचिया पूर्व विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की परिस्थितियों पर विचार किया है, और वह संतुष्ट है कि उपर्युक्त वर्णित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के लिए पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनें उपलब्ध हैं, मतदान कर्मचारी इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन के दक्षतापूर्वक संचालन करने के लिए प्रशिक्षित हैं तथा निर्वाचक भी इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों की कार्यप्रणाली से पूर्णतया परिचित हैं.

3. अत:, अब, भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा असम में 22-साल्मारा दक्षिण और 71-धेकियाजुली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश में 3-रोहडू और 36-ज्वाली विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों, केरल में 10-कन्नुर, 100-अल्लेप्पी और 72-एरनाकुलम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, राजस्थान में 156-सलूम्बर (अ.ज.जा.) और 81-टोडाभीम (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश में 45-पुवायॉं (अ.जा.), 86-लखनऊ पश्चिम, 181-पडरौना, 239-रारी, 108-इसौली, 312-झांसी, 229-कोलासाला, 162-हेनसार बाजार, 311-ललितपुर, 288-इटावा और 290-भरथना विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, छत्तीसगढ़ में 66-वैशाली नगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और पश्चिम बंगाल में 11-कालचीनी (अ.ज.जा.), 21-राजगंज (अ.जा.), 48-सुजापुर, 29-गोलपोखर, 85-बोंगॉंव, 211-कोन्टाई दक्षिण, 213-इगरा, 180-सेरामपोर, 148-अलीपोर और 139-बेलगाचिया पूर्व विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों को उन निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में उल्लिखित करता है, जिसमें 14 अक्टूबर, 2009 को अधिसूचित उक्त राज्यों में विधान सभा के लिए चालू उप निर्वाचनों में, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के अधीन मत निर्धारित रीति के इलेक्ट्रानिक मतदान मशीनों के माध्यम से डाले और रिकार्ड किए जाएंगे जैसा कि इस विषय पर आयोग द्वारा समय-समय पर अनुपूरक अनुदेश जारी किए जाते हैं.

आदेश से,

हस्ता./-
(के. एफ. विल्फ्रेड)
सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, Dated 23rd October 2009

DIRECTION

No. 576/3/EVM/2009/SDR (LA).—Whereas, Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, provides that the giving and recording of votes by Voting Machines in such manner as may be prescribed, may be adopted in such constituencies as the Election Commission of India may, having regard to the circumstances of each case specify; and

2. Whereas, the Commission has considered the circumstances in 22-Salmara South and 71-Dhekiajuli Assembly Constituencies in Assam, 3-Rohru and 36-Jawali Assembly Constituencies in Himachal Pradesh, 10-Cannanore, 100-Alleppey and 72-Ernakulam Assembly Constituencies in Kerala, 156-Salumber (ST) and 81-Todabhim (ST) Assembly Constituencies in Rajasthan, 45-Powayan (SC), 86-Lucknow West, 181-Padrouna, 239-Rari, 108-Isauli, 312-Jhansi, 229-Kolasala, 162-Hainsar Bazar, 311-Lalitpur, 288-Etawah and 290-Bharthana Assembly Constituencies in Uttar Pradesh, 66-Vaishali Nagar Assembly Constituency in Chhattisgarh and 11-Kalchini (ST), 21-Rajganj (SC), 48-Sujapur, 29-Goalpokhar, 85-Bongaon, 211-Contai South, 213-Egra, 180-Serampore, 148-Alipore and 139-Belgachia East Assembly Constituencies in West Bengal, and is satisfied that sufficient number of Electronic Voting Machines are available for taking the poll in the abovementioned Assembly Constituencies, the polling personnel are well trained in efficient handing of the Electronic Voting Machines and the electors are also fully conversant with the operation of the Electronic Voting Machines;

3. Now, therefore, the Election Commission of India hereby specified 22-Salmara South and 71-Dhekiajuli Assembly Constituencies in Assam, 3-Rohru and 36-Jawali Assembly Constituencies in Himachal Pradesh, 10-Cannanore, 100-Alleppey and 72-Ernakulam Assembly Constituencies in Kerala, 156-Salumber (ST) and 81-Todabhim (ST) Assembly Constituencies in Rajasthan, 20-Firozabad Parliamentary Constituency, 45-Powayan (SC), 86-Luccknow West, 181-Padrouna, 239-Rari, 108-Isauli, 312-Jhansi, 229-Kolasala, 162-Hainsar Bazar, 311-Lalit pur, 288-Etawah and 290-Bharthana Assembly Constituencies in Uttar Pradesh, 66-Vaishali Nagar Assembly Constituency in Chhattisgarh and 11-Kalchini (ST), 21-Rajganj (SC), 48-Sujapur, 29-Goalpokhar, 85-Bongaon, 211-Contai South, 213-Egra, 180-Serampore, 148-Alipore and 139-Belgachia East Assembly Constituencies in West Bengal, as the constituencies in which the votes at the current bye-elections to the Legislative Assemblies of the said states notified on 14th October, 2009, shall be given and recorded by means of Electronic Voting Machines in the manner prescribed under the Conduct of Elections Rules, 1961, and the supplementary instructions issued by the Commission from time to time on the subject.

By order,

Sd/-

(K. F. WILFRED)
Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.